

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खंडकी केवल आवासीय उपयोजना

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 028 दिनांक 05/04/19

जी.नं.

प्रार्थी महीपतराज मेहता S/O श्री अश्वराम मेहता

ने राजस्थान नगर पंचायत अधिनियम 2009

P.No 17/311 चौपासनी हाउस

आवासीय

धारा 19(1) के अन्तर्गत आवासीय

भवन निर्माण के लिए कार्यालय न पेश

स्कीम

कर स्वनिर्धारण दाखिल किये 8388/- रुपये जमा

जरिये रसीद संख्या 1065/9189, 9190

दिनांक 05/04/2019 को जमा करा दी हैं ।

*(Signature)*

प्रमुखकार

नगर निगम, जोधपुर

*(Signature)*

9413029994

होमशा पासे किचा